

प्रेसनोट दिनांक 14.01.2021

1. दिनांक 13.01.21 को वादी श्री सूर्य नारायण उपाध्याय पुत्र गंगा प्रसाद नि0 नरोत्तमपुर थाना कप्तानगंज बस्ती द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई विजय नरायन को टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 18/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 13.01.21 को वादी श्री मनीष यादव पुत्र लक्ष्मी नरायन यादव नि0 भगवानपुर थाना राम सनेही घाट बाराबंकी द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 45 टी 3259 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 13/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3 दिनांक 13.01.21 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामतेज पुत्र माता प्रसाद नि0 करिया का पुरवा बरौली थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 21/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 13.01.21 को वादी श्री फुरसत यादव पुत्र बैजनाथ नि0 बुधौली धन्नीपुर थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 51 एएच 6725 कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी का पैर टूट जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 22/21 धारा 279, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 13.01.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शीतला प्रसाद पुत्र नन्द लाल नि0 रुक्कूपुर सारंगापुर थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 24/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 13.01.21 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र सर्वदीन नि0 लाला का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एएल 9798 मोटर साइकिल चालक सुभम तिवारी नि0 हैदरगंज अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे पैर टूट जाना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 18/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 13.01.21 को वादी श्री दीपचन्द्र पुत्र आशराम यादव नि0 पारा ब्रह्मनान थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 51ए 1643 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई को टक्कर मार देना व गुमटी क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 12/21 धारा 279, 337, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 13.01.21 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज मिश्र पुत्र माधव प्रसाद मिश्र नि0 रामगंज चरकवा थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 2 किग्रा गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 16/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।